न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/93 /17	10–10–2017	21–05–2018

1–बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,शाखा बख्तल की चौकी जिला अलवर जर्ये प्राधिकृत अधिारी——प्रार्थी

बनाम

1. मैंसर्स साहिल मेवात ब्रिक्स प्रो. श्री गौसम खां पुत्र श्री अली मौहम्मद ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर

गारन्टर

श्री सरसू मेव पुत्र उमराव मेव के समस्त विधिक उत्तराधिकारीगण
(1) दिलावर पुत्र सरसू मेव
(2) दीन मौहम्मद पुत्र सरसू मेव
(3) अली मौहम्मद पुत्र सरसू मेव
(4) फकरूदीन पुत्र सरसू मेव
ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर(राज.)
श्री सरसू मेव पुत्र उमराव मेव की विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती जुवैदा पत्नि मुबीन खां (प्रधान) ग्राम गेल का खेडा पो0 लामडका तहसील पहाडी जिला अलवर(राज.)
श्री सरसू मेव पुत्र उमराव मेव की विधिक उत्तराधिकारी श्रीमती रहीसन पत्नि श्री कमरूदीन खां पुत्री श्री सरसू मेव निवासी ग्राम रामगढ सरेटा पो0 रामगढ तहसील अलवर जिला अलवर

अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्राट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा सरसू मेव पुत्र उमराव मेव की खसरा नम्बर 96 रकबा 0.37 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 98 रकबा 0.38 हे0 ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 7500 वर्ग मीटर) तथा हाईपोथिकेटेड प्रोपर्टी वीज प्रजेन्ट एसेट इनकुलुडिंग स्टॉक बुक्स डेब्टस रिसिएबल, कन्जुएबेल स्टारेज एण्ड स्पेयर्स हाईपोथिकेटेड मूवेबल प्लांट एण्ड मशीनरी इत्यादि पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21–05–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)